59

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 326–चार/2001 विरूद्ध आदेश, दिनाक 30–5–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 101/93–94 निगरानी.

जलदेवी पुत्री हरगोविन्द विधवा पत्नी
श्री विद्याराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पचौरी
का पुरा, परगना अम्बाह, जिला मुरैना म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 पंचम सिंह पुत्र ब्रजपाल
2 जगदीश पुत्र काशीप्रसाद
दोनों निवासीगण ग्राम शिकारीकापुरा, मौजा ऐसाह, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना म0 प्र0
3 रामकिशन पुत्र हरगोविन्द ब्राहम्ण
निवासी ग्राम शिकारीकापुरा मौजा ऐसाह
तहसील अम्बाह, जिला मुरैना

–अनावेदकगण

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के द्वारा प्रकरण कमांक 101/93–94/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–5–2000 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम श्यामपुर खुर्द तहसील अम्बाह, जिला मुरैना में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 81 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा जिसका अभिलिखित भूमिस्वामी धनजीत पुत्र टेकराम था । धनजीत की मृत्यु हो जाने के आधार पर प्रति निगरानीकर्ता–3 के द्वारा वारिसान के आधार पर विवादित भूमि पर नामांतरण किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 05 दिनांक 22–2–61 से मृतक धनजीत के स्थान पर प्रतिनिगरानीकर्ता–3 के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया । विचारण न्यायालय व्दारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 22–2–61 के विरूद्ध निगरानीकर्ता व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 14–3–80 को अपील प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26–6–82 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया गया । इस आदेश से दुखी होकर प्रतिनिगरानीकर्ता 1 व 2 के द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी । अपर कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 53/83–84/निगरानी पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 26–4–94 से स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 22–2–61 यथावत रखा गया । अपर कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–4–94 से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी । अपर आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त करते हुये अपर कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश यथावत रखा गया । परिणामतः निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का समग्र रूप से परिशीलन किया गया । अनावेदकगण के विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

4/ अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये हैं कि निगरानीकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा किये गये नामांतरण आदेश दिनांक 22–2–61 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 14–3–80 को प्रस्तुत की गयी थी यानि कि लगभग 22 वर्ष के बाद प्रस्तुत की गयी थी । इन 22 वर्षों के विलंब के संबंध में निगरानीकर्ता को अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुये कारणों का उल्लेख करना था, किन्तु निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलंब को माफ किये जाने बाबत कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया न उनके समर्थन में शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया गया । इसके अलावा निगरानीकर्ता विचारण न्यायालय के नामांतरण कार्यवाही में पक्षकार नहीं थी, इस कारण अपील मेमो के साथ अपील अनुमति लिये जाने के संबंध में आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । अपील अनुमति का भी आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि यह एक अनिवार्य प्रकिया है । 2013 राजस्व निर्णय 118 शंकर सिंह विरूद्ध जगन्नाथ सिंह में राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 44–अपील का अधिकार–व्यक्ति कार्यवाही में पक्षकार नहीं–अपील की अनुमति के लिये आवेदन किये बिना–उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं । निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है और अपील प्रस्तुत करने के अनुमति हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि यदि कोई व्यक्ति विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं है, तब उसे प्रथम अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये ही अपील स्वीकार कर ली गयी, जबकि प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलन योग्य नहीं थी । ऐसी अप्रचलन योग्य अपील को अपर कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा निरस्त करने में कोई अनियमितता नहीं की गई है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला मुरैना एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखे जाते हैं और प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर